

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

पटना, दिनांक-20/11/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर परिषद, सुपौल क्षेत्रान्तर्गत जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹2208.00 लाख (बाईस करोड़ आठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर परिषद, सुपौल क्षेत्रान्तर्गत जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप कुल ₹2208.00 लाख (बाईस करोड़ आठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०-118 दिनांक-20/11/18 के आलोक में तत्काल कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, सुपौल	सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में Storm Water Drainage योजना की स्वीकृति।	2208.00	1104.00	1104.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र।

- योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।
- आवंटित कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. आवंटित कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021920102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(vi) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सुपौल/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-03/2017 119 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/11/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सुपौल/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०नि०-02-03/2017 118

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 20/11/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर परिषद, सुपौल क्षेत्रान्तर्गत जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹2208.00 लाख (बाईस करोड़ आठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर परिषद, सुपौल क्षेत्रान्तर्गत जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप कुल ₹2208.00 लाख (बाईस करोड़ आठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, सुपौल	सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में Storm Water Drainage योजना की स्वीकृति।	2208.00	1104.00	1104.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

- योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।
- स्वीकृत कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428,

दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुपौल द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. स्वीकृत कुल ₹1104.00 लाख (ग्यारह करोड़ चार लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021920102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

✓

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(vi) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-03/2017 के पृष्ठ सं०- 24/टि० पर दिनांक- 17.02.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 21/टि० पर दिनांक- 08.02.18 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना आयुक्त, कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सुपौल/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-03/2017 118 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/2/18

प्रतिलिपि:- आयुक्त, कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सुपौल/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

